डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म.प्र.
बि.पू.भु. भोपाल-02-06.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र. 108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 513] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2006—आश्विन 25, शक 1928

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2006

क्र. 6591-एफ. 18-10-तेरह-93.—मंत्रिपरिषद् की दिनांक 26 सितम्बर, 2006 को संपन्न बैठक में मध्यप्रदेश में अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत् उत्पादन की परियोजनाओं के लिये राज्य शासन की प्रोत्साहन नीति एवं ऊर्जा उपकर में से पृथक् निधि का प्रावधान पर सहमति व्यक्त की गयी है. सर्वसाधारण की जानकारी के लिये उक्त नीति का प्रकाशन "राजपत्र (असाधारण)" में किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. बी. अग्रवाल, अपर सचिव.

ऊर्जा विभाग

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2006

विषय.—मध्यप्रदेश में अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों (सोलर, वायु बायो-इनर्जी आदि) से विद्युत् उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु नीति.

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य शासन ने अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत् उत्पादन के लिये निम्नानुसार प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है :—

(1) कोई भी उद्योग, संस्थान अथवा निजी इकाई जो अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत जैसे पवन ऊर्जा, बायोमास, कोजनरेशन सौर ऊर्जा आदि आधारित परियोजना लगाना चाहें, इस नीति के अन्तर्गत सुविधा के लिए पात्र होगी. इकाई स्वयं या संयुक्त उपक्रम के रूप में परियोजना स्थापित कर सकती है.

(2) इस नीति के अन्तर्गत परियोजना की न्यूनतम क्षमता, सौर फोटोवोल्टेक संयंत्र (स्टेंड अलोन, नान ग्रिड कनेक्टेड) के लिए 5 किलोवॉट होगी. बायोमॉस एवं पवन ऊर्जा की परियोजनाओं की अधिकतम सीमा उपलब्ध क्षमता पर आधारित होगी. इन सभी परियोजनाओं पर इस नीति के तहत सुविधा की पात्रता परियोजना की "टेक्नो इॅकानामिक वायबिलिटी" एवं उपलब्ध संसाधनों पर आधारित होगी.

(3) ग्रुप ऑफ कम्पनी, कम्पनी एवं उसकी सहभागी/सहयोगी, कम्पनियां की एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी को विद्युत् विक्रय कैप्टिव उपयोग माना जावेगा. कैप्टिव उपयोग की पात्रता हेतु भारत सरकार, विद्युत् मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक साकनि/ 379 (ई) दिनांक 8-6-05 के अनुसार होगी.

(4) इकाई द्वारा इन परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत् का उपयोग इकाई द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए अथवा म. प्र. राज्य विद्युत् मंडल या इसकी उत्तरवर्ती इकाई को अथवा किसी अन्य उपभोक्ता को विक्रय हेतु उत्पादन स्थल पर अथवा राज्य में कहीं भी किया जा सकेगा.

(5) पब्लिक सेक्टर यूनिट भी इस सुविधा के लिये निवेशक/उपभोक्ता इकाई अथवा स्वयं के उपयोग के लिए उत्पादक के रूप में पात्र होंगे.

(6) इकाई द्वारा राज्य शासन से परियोजना स्थापित करने संबंधी अनुमति निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त करने के उपरांत परियोजना का प्रारंभ/कमिशनिंग निम्नानुसार करना होगा तभी वे "नीति" के अन्तर्गत सुविधा के पात्र होंगे अन्यथा परियोजना स्थापित करने के लिये दी गयी अनुमति निरस्त की जायेगी.

		परियोजना का प्रारंभ	कमिशनिंग
1.	पवन ऊर्जा परियोजना/सौर ऊर्जा	- 3 महीने	- 15 महीने
2.	बायोमास/नगरीय अपशिष्ट	- 9 महीने	- 30 महीने

अगर ऐसे कारण हों जो कि इकाई के नियंत्रण में नहीं हों तब म. प्र. ऊर्जा विकास निगम/राज्य विद्युत् मंडल द्वारा कारणों की जांच एवं संतुष्टि के पश्चात् म. प्र. शासन द्वारा समय-सीमा बढ़ाई जा सकेगी.

सुविधा एवं प्रोत्साहन :

(7) क्रय दर—गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत से उत्पादित विद्युत् की दरों का निर्धारण म. प्र. शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर जो कि यदि निर्धारित की जाती है, के आधार पर म. प्र. विद्युत् नियामक आयोग द्वारा किया जायेगा. वर्तमान में पवन ऊर्जा से उत्पादित विद्युत् के क्रय हेतु दरें म. प्र. विद्युत् नियामक आयोग द्वारा जारी आदेश दिनांक 11-6-2004 एवं 1-3-2006 के अनुसार लागू होंगी. समय-समय पर म. प्र. विद्युत् नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मात्रा, दर एवं अन्य शर्तों के तहत म. प्र. राज्य विद्युत् मंडल या उत्तरवर्ती इकाई द्वारा विद्युत् का क्रय किया जाएगा. म. प्र. राज्य विद्युत् मंडल द्वारा प्रस्तुत वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव में अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों द्वारा उत्पादित विद्युत् के क्रय की मात्रा म. प्र. विद्युत् नियामक आयोग के द्वारा अनुमोदन हेतु दर्शाई जाएगी. इसमें पिछले वर्ष में क्रय की गई विद्युत् एवं राशि के आंकड़े शामिल होंगे.

(8) ग्रीन एनर्जी फंड—प्रदेश में विद्युत् उपभोक्ताओं से उपकर के रूप में एकत्र की जा रही राशि से एक ग्रीन इनर्जी फंड की स्थापना की जायगी. इस राशि का उपयोग आवश्यकतानुरूप अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के विकास हेतु एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास (Infrastructure Development) इत्यादि एवं पावर इवेक्यूएशन, बायोमॉस हेतु मैपिंग अध्ययन एवं क्षमता आंकलन इत्यादि इस नीति के अन्तर्गत दी जाने वाली छूट की प्रतिपूर्ति हेतु या अन्य कोई अध्ययन एवं ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत किया जाएगा.

(9) ओपन एक्सेस—अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित विद्युत् उत्पादन की परियोजनाओं को ओपन एक्सेस शुल्क से मुक्त रखा जायेगा.

(10) तृतीय पक्ष विक्रय (Third Party Sale)—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 36) एवं म. प्र. विद्युत् नियामक आयोग के आदेश दिनांक 11-6-2004 के तहत थर्ड पार्टी विक्रय की पात्रता होगी जिसके लिए उत्पादक इकाई एवं उपभोक्ता इकाई आपस में क्रय दर तय कर सकेंगे.

(11) **व्हीलिंग.**—म. प्र. विद्युत् नियामक आयोग द्वारा निर्धारित किये गये व्हीलिंग शुल्क अनुसार म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा व्हीलिंग की सुविधा इकाई को प्राप्त होगी. उपरोक्त व्हीलिंग चार्ज हेतु 4 प्रतिशत का अनुदान म. प्र. शासन की वर्तमान नीति अनुसार दिया जावेगा.

(12) **उद्योग का दर्जा.**—इस नीति के अन्तर्गत लगाई गई परियोजनाओं को उद्योग का दर्जा प्राप्त होगा एवं उद्योग संवर्धन नीति 2004 के अन्तर्गत सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी. पिछड़े क्षेत्रों में नये उद्योग लगाने पर जो सुविधाएं अन्य उद्योगों को प्राप्त होती हैं वह इन परियोजनाओं को भी प्राप्त करने की पात्रता होगी परन्तु म. प्र. शासन के किसी अन्य विभाग से धनराशि की दोहरी सुविधा प्राप्त नहीं हो सकेगी.

(13) **पावर इवेक्यूशन सुविधा.**—परियोजना के लिए पावर इवेक्यूशन, परियोजना का एकीकृत भाग होगा. इसका संपूर्ण व्यय इकाई द्वारा वहन किया जायेगा. सम्प्रेषण, वितरण लाईन एवं सिन्क्रोनाइजिंग के लिए आवश्यक उपकरण आदि की स्थापना इकाई द्वारा म. प्र. राज्य विद्युत् मंडल/उत्तरवर्ती कंपनी के तकनीकी विवरण के अनुसार की जायेगी या इकाई के व्यय पर म. प्र. राज्य विद्युत् मंडल/उत्तरवर्ती कंपनी द्वारा प्रदाय की जायेगी. इन लाईन एवं उपकरणों का रख-रखाव म. प्र. राज्य विद्युत् मंडल/उत्तरवर्ती कंपनी द्वारा इकाई के व्यय पर किया जायेगा.

(14) **कांट्रेक्ट डिमांड में कमी.**—ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जो म. प्र. राज्य विद्युत् मंडल की उपभोक्ता हैं, यदि अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत से उत्पादन हेतु स्वयं के उपयोग के लिए इकाई स्थापित करती है या तृतीय पार्टी के रूप में अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत से उत्पादित विद्युत् क्रय करती है तो ऐसी इकाइयों को कांट्रेक्ट डिमांड में कमी की सुविधा दी जाएगी एवं ये इकाईयां अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत से उत्पादित पूर्ण विद्युत् का उपयोग कर सकेंगी.

(15) विद्युत् उत्पादन एवं विक्रय के लिए मीटरिंग उपकरण इकाई द्वारा स्वयं के व्यय पर परियोजना स्थल पर म. प्र. राज्य विद्युत् मंडल/उत्तरवर्ती कंपनी द्वारा बताये गये मापदण्डों पर लगाये जायेंगे जिसका परीक्षण भी म. प्र. राज्य विद्युत् मंडल/उत्तरवर्ती कंपनी द्वारा इकाई के व्यय पर किया जायेगा.

(16) ऐसे स्थलों पर जहां एक से अधिक इकाई द्वारा परियोजना स्थापित की जायेगी, म. प्र. ऊर्जा विकास निगम द्वारा कामन अधोसंरचना (पावर इवेक्यूशन सुविधा, रोड आदि) विकसित करने हेतु आवश्यक कार्य सभी इकाईयों की सलाह एवं उनके व्यय से किया जायेगा. पृथक् निवेशक अनुसार पृथक् मीटरिंग की व्यवस्था निवेशकों की सलाह अनुसार उनके व्यय पर की जावेगी.

(17) इकाई द्वारा परियोजना में रिएक्टिव पावर लेने पर म. प्र. विद्युत् नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर पर शुल्क देय होगा.

भूमि आवंटन :

(18) अ. अगर शासकीय राजस्व भूमि उपलब्ध हुई तो 30 वर्ष या परियोजना अवधि जो भी कम हो के लिए भूमि उपयोग की अनुमति रु. 1/- टोकन (Token) भू-भाटक प्रतिवर्ष की दर पर दी जायेगी. राजस्व भूमि ऊर्जा विभाग को आवंटित होगी एवं विभाग संबंधित इकाई को भूमि उपयोग की अनुमति प्रदान करेगा.

ब. यदि शासकीय भूमि उपलब्ध न हो तो शासन निजी भूमि अधिग्रहित कर अधिग्रहण मूल्य पर पार्टी को उपलब्ध करायेगा. इस हेतु सर्विस चार्ज देय नहीं होंगे. भूमि के उपयोग के लिये परिवर्तन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी केवल भूमि के उपयोग की जानकारी संबंधित जिलों के जिलाध्यक्षों को दी जाना होगी.

(19) शासकीय राजस्व भूमि हेतु भूमि उपयोग की अनुमति ऊर्जा विभाग द्वारा दी जायेगी. प्रोजेक्ट डेवलपर को उपयोग हेतु दी गयी भूमि यदि प्रोजेक्ट डेवलपर तृतीय संबंधित पक्ष (निवेशक यदि अलग से हो तो) को उपयोग हेतु हस्तांतरित करना चाहे तो राजस्व विभाग की उन्हीं शर्तों पर ऊर्जा विभाग द्वारा भूमि उपयोग का हस्तांतरण किया जाएगा.

(20) अगर इकाई द्वारा परियोजना हेतु निजी भूमि क्रय की जाती है तो उसे स्टाम्प ड्यूटी पर 50 प्रतिशत की छूट की पात्रता होगी और अगर वह इस भूमि पर परियोजना स्थापित नहीं करती तो दी गई छूट वापिस ली जायेगी.

(21) वन भूमि के लिये समय-समय पर जारी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत शासन एवं राज्य शासन द्वारा जारी दिशानिर्देश लागू होंगे. वन भूमि के सर्वे हेतु आवेदन मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय वन संरक्षक को प्रस्तुत किये जायेंगे. सर्वे उपरांत भूमि के उपयोग हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर संबंधित क्षेत्रीय वन संरक्षक को प्रस्तुत किये जाएंगे.

यदि शासकीय राजस्व भूमि राजस्व अभिलेखों में छोटे-बड़े झाड़ के जंगल के रूप में अभिलेखित हुई अथवा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 13-1-1997 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत वन भूमि के रूप में परिभाषित हुई तो आवेदक वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्षेत्रीय वन मण्डलाधिकारी के माध्यम से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही करेगा.

विशिष्ट परियोजनाओं को दी जाने वाली सुविधाएं एवं शर्तें :

बायोमॉस आधारित परियोजनाएं—

(1) यदि बायोमॉस संयंत्र संथापित करने हेतु किसी डेवलपर द्वारा स्थल चिन्हित किया जाता है एवं ऊर्जा विकास निगम द्वारा चिन्हित स्थल पर 7 मेगावॉट क्षमता तक बायोमॉस संयंत्र की क्षमता होने की पुष्टि की जाती है तब 25 किलोमीटर परिधि के क्षेत्रफल में अन्य किसी बायोमॉस संयंत्र को इस नीति के अन्तर्गत स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जावेगी एवं यह सुविधा निर्धारित समय-सीमा में परियोजना पूर्ण करने पर ही दी जाएगी.

(2) यदि बायोमॉस की उपलब्धता में आवश्यकतानुसार कमी होती है तो संयंत्र को लगातार सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उत्पादक को 25 प्रतिशत तक पारंपरिक ईंधन का उपयोग घोषित हीट रेट के आधार पर करने की छूट होगी.

(3) यदि आवश्क पानी की मात्रा उपलब्ध होगी तो उत्पादक को पानी के उपयोग की अनुमति दी जावेगी.

पवन ऊर्जा परियोजनाएं :

उपरोक्त के अतिरिक्त पवन ऊर्जा परियोजनाओं को निम्न सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी :—

(22) परियोजना हेतु आवेदन के साथ परियोजनाकर्ता द्वारा रु. 50,000/- प्रति मेगावॉट की दर से फीस देनी होगी जो वापस नहीं की जाएगी. यदि परियोजनाकर्ता निर्धारित तिथि समाप्त होने के 15 दिन पहले समयसीमा बढ़ाने हेतु उचित स्पष्टीकरण सहित आवेदन करता है तो ऐसी स्थिति में परियोजनाकर्ता को एक बार समयावधि में 3 माह की वृद्धि दी जा सकेगी, जिसके लिये परियोजनाकर्ता द्वारा रु. 1 लाख प्रति मेगावॉट की दर से राशि देनी होगी.

(23) **बैंकिंग—**

प्रत्येक वित्तीय सत्र में उत्पादित विद्युत् की 100 प्रतिशत तक बैंकिंग सुविधान निम्न शर्तों पर दी जावेगी:—

(i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बैंकिंग की गई विद्युत् का लेखा-जोखा म. प्र. राज्य विद्युत् मंडल/वितरण कंपनियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा.

(ii) बैंक की गई विद्युत् म. प्र. राज्य विद्युत् मंडल/वितरण कंपनियों द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार ही एक समय में एक निश्चित मात्रा से अधिक वापस नहीं की जाएगी.

(iii) बैंक की गई विद्युत्, रबी मौसम (नवम्बर से फरवरी) एवं शीर्ष मांग के समय प्रदेश में विद्युत् की उपलब्धता एवं मांग तथा आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए म. प्र. राज्य विद्युत् मंडल/वितरण कंपनियों द्वारा लिये गये निर्णयानुसार वापस दी जा सकेगी. ऐसी स्थिति में शेष ऊर्जा म. प्र. राज्य विद्युत् मंडल, नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश के प्रावधान के अन्तर्गत क्रय करेगा.

(iv) बैंकिंग चार्जेज के रूप में बैंकिंग की गयी विद्युत् का 2 प्रतिशत म. प्र. राज्य विद्युत् मंडल/उत्तरवर्ती कंपनियों द्वारा लिया जावेगा.

(24) अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय, भारत सरकार, सी-वैट चैन्नई द्वारा प्रमाणित या उनके दिशा-निर्देशानुसार म. प्र. ऊर्जा विकास निगम द्वारा अनुमोदित पवन ऊर्जा जनरेटर को स्थापित किये जाने की अनुमति दी जा सकेगी.

(25) ट्रांसमिशन लाईन एवं उससे संबंधित सुविधाएं म. प्र. विद्युत् नियामक आयोग के आदेश दिनांक 11 जून, 2004 एवं 1-3-06 के तहत दी जावेगी.

(26) पवन ऊर्जा परियोजनाओं हेतु उन्हीं स्थलों पर भूमि उपयोग के प्रकरण मान्य किये जावेंगे, जो स्थल अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय, भारत सरकार एवं सी-वैट, चैन्नई द्वारा प्रमाणित या उनके दिशा-निर्देशानुसार ऊर्जा विकास निगम द्वारा अनुमोदित होंगे.

(27) परियोजनाकर्ता द्वारा निवेशकों की सूची आवश्यक दस्तावेजों सहित परियोजना पूर्ण होने के 2 माह पूर्व तक प्रदान की जा सकेगी.

(28) पवन ऊर्जा परियोजना में मध्यप्रदेश के छोटे निवेशकों को प्राथमिकता दी जायेगी. सी-वेट, चैन्नई द्वारा जारी सूची अनुसार 225 किलोवाट से 2000 किलोवाट क्षमता तक मशीनों को स्थापित किया जा सकेगा. लेकिन शासकीय राजस्व भूमि के आप्टिमल उपयोग की दृष्टि से 500 कि. वा. क्षमता की विण्ड टरबाइन की स्थापना को ऊर्जा विभाग द्वारा प्राथमिकता दी जायेगी.

(29) निजी संस्थाओं को उनके द्वारा चिन्हित किये गये स्थलों पर विंड मॉनिटरिंग करने की अनुमति उपयुक्त प्रक्रिया अपनाते हुए ऊर्जा विभाग/म. प्र. ऊर्जा विकास निगम द्वारा दी जा सकेगी. एक निजी संस्था को एक समय में 15 स्थलों पर विण्डमास्ट लगाने की अनुमति दी जाएगी. निजी संस्थाओं द्वारा जिस स्थल पर विंड मॉनिटरिंग की जाएगी उसे सी-वेट चेन्नई द्वारा या उनके दिशा-निर्देशानुसार ऊर्जा विकास निगम द्वारा प्रमाणित कराना होगा. निजी संस्थान द्वारा जिस स्थल के लिए विंड मॉनिटरिंग की गई है, उस स्थल पर 5 किलोमीटर परिधि तक उस निजी संस्था का प्रथम अधिकार होगा. परन्तु यदि निजी प्रतिष्ठान म. प्र. ऊर्जा विकास निगम/ऊर्जा विभाग द्वारा विण्ड मॉनिटरिंग की अनुमति प्रदान करने के अधिकतम 18 माह के अंदर विण्ड मॉनिटरिंग का कार्य पूर्ण कर स्थल पर पवन ऊर्जा परियोजना लगाने हेतु अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही प्रारंभ नहीं करते तो ऊर्जा विभाग को यह अधिकार होगा कि उक्त स्थल किसी अन्य प्रतिष्ठान को परियोजना उपयोग हेतु हस्तांतरित कर सकें.

(30) निजी भूमि जिसमें कृषि भूमि भी सम्मिलित है, के अधिग्रहण हेतु लेण्ड सीलिंग से छूट प्राप्त होगी.

(31) वन भूमि के लिये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश लागू होंगे. राज्य शासन को भी अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित करने का अधिकार होगा. वन भूमि के सर्वे हेतु आवेदन मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम की अनुशंसा उपरांत संबंधित क्षेत्रीय वन संरक्षक को प्रस्तुत किये जाएंगें. आवेदनकर्ता निर्धारित प्रपत्र में सर्वे उपरांत जानकारी भरकर अनुमति प्राप्त करने के लिये संबंधित क्षेत्रीय वन संरक्षक को प्रस्तुत करेगा.

अन्य सुविधायें (सभी के लिए) :

(32) परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन की दृष्टि से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक साधिकार समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रमुख सचिव (वित्त) प्रमुख सचिव (राजस्व) प्रमुख सचिव (वन), प्रमुख सचिव (जल संसाधन) एवं प्रबंध संचालक, म. प्र. ऊर्जा विकास निगम सदस्य होंगे. सचिव, ऊर्जा समिति के संयोजक होंगे.

(33) परियोजनाओं को शीघ्र सभी आवश्यक स्वीकृतियों हेतु "एकल टेबल क्लियरेंस" एवं समीक्षा हेतु प्रमुख सचिव, ऊर्जा/सचिव (ऊर्जा) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम, सदस्य सचिव एवं अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे.

(34) सभी उत्पादन इकाई जिसमें कैप्टिव संयंत्र भी सम्मिलित हैं, को विद्युत् शुल्क एवं उपकर की छूट परियोजना की कमिशनिंग से 5 वर्षों के लिये होगी बशर्ते इकाई द्वारा अपनी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) में घोषित विद्युत् उत्पादन का कम से कम 70 प्रतिशत उत्पादन किया जावे. निर्धारित 70 प्रतिशत से कम विद्युत् उत्पादन होने पर इकाई के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के संबंध में राज्य शासन/ऊर्जा विकास निगम की संतुष्टि हेतु आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध कराने होंगे, जिनके निरीक्षक पश्चात् म. प्र. शासन इस विषय में छूट दे सकता है.

(35) कार्बन क्रेडिट संबंधी वित्तीय लाभ (उपलब्ध होने पर) सीधे निवेशक को प्राप्त होगा.

(36) अपारंपरिक ऊर्जा संयत्र एवं उन संयंत्रों से संबंधित आवश्यक अन्य सामग्री पर वाणिज्यिक कर (एंट्री टैक्स/आक्ट्राय) से छूट होगी. भविष्य में लगने वाले अन्य वाणिज्यिक कर जैसे वैट आदि से भी छूट प्राप्त होगी.

(37) उपरोक्त सुविधा "लीज फायनेंस" आधारित परियोजनाओं पर भी लागू होगी.

(38) इकाई को म. प्र. विद्युत् नियामक आयोग से आवश्यक विद्युत् दर, व्हीलिंग आदि की अनुमति मिलने के पश्चात् म. प्र. राज्य विद्युत् मंडल या उत्तरवर्ती कंपनियों के साथ विद्युत् क्रय अनुबंध करना होगा. यह विद्युत् क्रय अनुबंध इकाई को प्राप्त अनुमति से दो माह के अंदर करना होगा.

(39) यह प्रोत्साहन नीति 5 वर्ष के लिए होगी. विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 36) में निहित प्रावधानानुसार यदि केन्द्र सरकार कोई राष्ट्रीय नीति जारी करता है तो तद्नुसार इस नीति में परिवर्तन किया जाएगा.

(40) यह प्रोत्साहन नीति जारी होने के दिनांक से प्रभावशील मानी जावेगी. जिन परियोजनाओं को इस नीति के जारी होने की दिनांक के पश्चात् अनुमति प्रदान की जायेगी, वे ही इस नीति के अन्तर्गत जारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगी. राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी की गई प्रोत्साहन नीति दिनांक 7-7-94 एवं 26-9-94 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति पर संबंधित प्रोत्साहन नीति लागू होगी.

(41) ऐसे प्रतिष्ठान जो अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित विद्युत् संयंत्र लगाना चाहते हैं, को अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क के साथ प्रबंध संचालक, म. प्र. ऊर्जा विकास निगम को अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत करने होंगे. निर्धारित प्रक्रिया के पश्चात् उपयुक्त पाये जाने पर 5 मेगावॉट तक की परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में सौंपने की स्वीकृति ऊर्जा विकास निगम द्वारा दी जा सकेगी. 5 मेगावॉट से अधिक क्षमता के प्रकरण राज्य शासन के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे.

(42) जो इकाई इस नीति के अन्तर्गत सुविधा का लाभ नहीं लेना चाहें, वे विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 36) के अन्तर्गत बिना किसी उपरोक्त अनुमति प्राप्त किये परियोजना स्थापित कर सकते हैं.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.